अनुदान संख्या 8 – नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 8 - MINISTRY OF CIVIL AVIATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4474,99,00	4475,01,00	3625,45,32	-849,55,68
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				845,00,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		25,01,00	21,36,49	-3,64,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,64,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें / अधिक व्यय हुईं / हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	5000.00	3691.00	3688.38	-2.62
पु.	R.	-1309.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6999.00	...	...	...
पु.	R.	-6999.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	434015.00			
पू.	S.	2.00	357984.00	357524.81	-459.19
पु.	R.	-76033.00			

(I) ₹7081.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹6999.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य व्यय – क्षेत्रीय कनेक्टीविटी स्कीम" के अंतर्गत – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण, लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹7081.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹6999.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Regional Connectivity Scheme" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – नागर विमानन मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹1298.21 लाख की बचत (₹4970.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, एयरलाइनों से कम दावे प्राप्त होने, कम परामर्शदाता लिए जाने, किफायती उपाय किए जाने, कम मरम्मत कार्य के जाने और वार्षिक मीडिया योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Civil Aviation" - saving of ₹1298.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4970.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less claims from Airlines, hiring of less consultants, austerity measures, less repair work undertaken and non-implementation of annual media plan.

(III) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं :–

(III) Under Major Head "3053" - "General" - savings occurred under the following heads :-

(का) "निरीक्षण – वैमानिकी निरीक्षण नियंत्रक" – ₹847.54 लाख की बचत (₹5784.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, कोविड–19 के कारण विक्रेताओं द्वारा मदों की आपूर्ति न किए जाने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किराए की दरों में संशोधन किए जाने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा

(A) "Inspection - Controller of Aeronautical Inspection" - saving of ₹847.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5784.70 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-supply of items by vendors owing to COVID-19, revision of rates of rent by Airports Authority of India

कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "नागरिक विमानन सुरक्षा – नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो" – ₹894.57 लाख की बचत (₹4480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, भा.वि.प्रा. की विभिन्न यूनिटों से बिल प्राप्त न होने, एनआईसी से क्लाउड स्टोरेज प्रभार प्राप्त न होने, एयर इंडिया से कम दावे प्राप्त होने, कोविड–19 के कारण बीसीएएस अधिकारियों के विदेशी प्रशिक्षण रद्द होने और केन्द्रीकृत एक्सेस नियंत्रण प्रणाली परियोजनाओं के लक्ष्य पूरे न होने के कारण हुई।

(गा) "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता" –

(क) "एयर इंडिया द्वारा नए विमानों की खरीद" – ₹81165.00 लाख की बचत (₹108400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विमानों की सुपुर्दगी अगले वित्तीय वर्ष तक स्थगित होने के कारण हुई।

(ख) "एयर इंडिया परिसंपत्ति धारण (एसपीवी)" – ₹3195.00 लाख की बचत (₹260000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्याज का भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय – राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान" – ₹933.00 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, फर्नीचर तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹312.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8249.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि नवंबर, 2019 में मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य – अन्य व्यय" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1.00

and non-execution of work by Central Public Works Department.

(B) "Civil Aviation Security - Bureau of Civil Aviation Security" - saving of ₹894.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4480.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of bills from various units of AAI, cloud storage charges from NIC,receipt of less claims from Air India, cancellation of foreign training of BCAS officers owing to COVID-19 and non-completion of milestones of the Centralised Access Control System projects.

(C) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings" -

(a) "Air India purchase of New Aircraft" - saving of ₹81165.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹108400.00 lakhs) was due to postponement of delivery of aircraft to next financial year.

(b) "Air India Assets Holding (SPV)" - saving of ₹3195.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹260000.00 lakhs) was due to non-payment of interest.

(D) "Other Expenditure - Grants-in-aid to National Aviation University" - saving of ₹933.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to non- filling of vacant posts, non-procurement of furniture and equipments and receipt of less claims.

(IV) Under one head saving of ₹312.00 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹8249.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00

लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सहायता अनुदान" – ₹369.00 लाख।

(खा) "क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम" – ₹7880.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7879.95 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं –

(का) "निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक नागर विमानन" – ₹2392.90 लाख का अधिक व्यय (₹10395.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फ्लाइट आपरेशन इंस्पेक्टरों (एफओआई) को जीएसटी के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को भुगतान, फर्नीचर और फिक्सचरों की अधिप्राप्ति और एयर इंडिया से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन को अंशदान" – ₹547.65 लाख का अधिक व्यय (₹502.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंशदान के भुगतान कार्यक्रम को पहले ही इसी वित्तीय वर्ष में किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित प्रकार हुई;

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित किया गया।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत, ₹311.74 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थी।

lakh in November, 2019 under Major Head "3053" - "General - Other Expenditure" - under the following heads: -

(A) "Grants in Aid to Indira Gandhi Rastriya Uran Academy" - ₹369.00 lakhs.

(B) "Regional Connectivity Scheme" - ₹7880.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7879.95 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3053" - "General" -

(A) "Direction and Administration - Director General Civil Aviation" - excess of ₹2392.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10395.40 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of GST to Flight Operations Inspectors (FOIs), payment to National Institute of Electronics and Information Technology, procurement of furniture and fixtures and receipt of more claims from Air India.

(B) "International Co-operation - Contribution to International Civil Aviation Organization" - excess of ₹547.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹502.00 lakhs) was due to pre-ponement of payment schedule of contribution to this financial year.

3. In the capital section of the grant, savings occurred as under:-

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

(II) Under one head, saving of ₹311.74 lakhs occurred constituting 31 percent of the sanctioned provision.